आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :अमरोहा
वाद संख्या :-00882/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201913380100882
एम०क्यू०चिल्ड्रन एजूकेशनल सोसायटी खेवया माफ द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर बनाम लेखपाल हल्का
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद एम०क्यू चिल्ड्रन एजूकेशनल सोसायटी खेवया माफी/अमरोहा द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर पुत्र मो० यामीन निवासी ग्राम कालाखेडा उर्फ कलालखेडा तहसील व जनपद अमरोहा द्वारा अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता योजित किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र में अपनी आराजी स्थित ग्राम डिडौली के गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि को अकृषिक उद्घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार अमरोहा से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 मे कहा गया है कि वादी की ग्राम डिडौली में गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि है जिस पर स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज, सीलिंग आदि की नही है। वादी तथा हल्का लेखपाल द्वारा बयान दर्ज कराये गये।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तहसीलदार अमरोहा की आख्या, फर्द खतौनी, वादी तथा हल्का लेखपाल के बयानों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अमरोहा की आख्यानुसार वादी की ग्राम डिडौली में गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि है जिस पर स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि मे कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज, सीलिंग आदि की नही है। वादी तथा हल्का लेखपाल के बयानो मे भी भूमि के अकृषिक होने की पुष्टि की गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) अमरोहा के द्वारा दिनांक 31.01.2019 को अवगत कराया है कि वर्तमान मे भूअर्जन प्रस्ताव में प्रश्नगत खसरा नम्बर का अर्जन नही हो रहा है। जिलेदार मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–16 चन्दौसी (सम्भल) के द्वारा दिनांक 1.12.2018 को अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत गाटा संख्या नहर के समरेखन मे नही आ रहा है। चूंकि भूमि का प्रयोग व्यवसायिक है ऐसी दशा में वादी द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2006 के नियम–85 के प्रस्तर–2 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि का एक प्रतिशत अर्थात 33239/–रुपये (तेंतीस हजार दो सौ उन्तालीस रूपये) भारतीय स्टेट बैंक अमरोहा मैन में निर्धारित लेखा शीर्षक 0029001010602 (गैर कृषिक भूमि घोषणा शुल्क) में दिनांक 30.01.2019 को जमा किया जा चुका है तथा इतनी ही धनराशि का न्यायालय शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0030011020100 (न्यायालय शुल्क) मे दिनांक 30.01.2019 को जमा किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :अमरोहा
वाद संख्या :-00882/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-1201913380100882
एम0क्यू0चिल्ड्रन एजूकेशनल सोसायटी खैयया माफ द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर बनाम लेखपाल हल्का
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अस्तु तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 स्वीकार की जाती है। एम0क्यू चिल्ड्रन एजूकेशनल सोसायटी खैयया माफी/अमरोहा द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर पुत्र मौ0 यासीन निवासी ग्राम कालाखेडा उर्फ कलालखेडा तहसील व जनपद अमरोहा की भूमि स्थित ग्राम डिडौली के खाता सं0 81 गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि को लगान मुक्त करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि/आबादी घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की सत्यप्रति उप निबन्धक अमरोहा के कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 20.02.2019

(सुखवीर सिंह)
उपजिलाधिकारी, अमरोहा।

सत्य प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner